UPJB010035662026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा
पीठासीन अधिकारी– विवेक (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{JOCODE–UP2012}

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–927/2026

फरहाना आयु करीब 36 वर्ष पत्नी श्री शहजाद, निवासी ग्राम शेरपुर थाना मण्डी धनौरा जिला अमरोहा। .....आवेदिका /अभियुक्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–114/2026
धारा–109(1) भारतीय न्याय संहिता
थाना–मण्डी धनौरा, जिला अमरोहा।

जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण

दिनांकः 04.06.2026

उपरोक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध आवेदिका /अभियुक्ता **फरहाना** की ओर से जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

02. संक्षेप में अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 01.04.2026 को वादी मुकदमा **नसीम** के द्वारा थाना मण्डी धनौरा में प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि घटना दिनांक 31.03.2026 समय रात्रि लगभग 09:00 बजे वे लोग अपने घर के आगे टहल रहे थे। पड़ोस में रहने वाले फरहान, इरशाद, फरहाना व एक अन्य अज्ञात किसी बात को लेकर आपस ने बहस होने लगी, तो फरहान अपने घर से तलवार ले आया और उसने तलवार से उसके भाई के ऊपर वार किया, जिससे तलवार उसके हाथ में लगी तथा हाथ कट गया। शोर सुनकर घटना स्थल की ओर दौड़े, तो वे लोग हमारे साथ भी गाली–गलौंज करने लगे तथा उन पर पथराव कर दिया व जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

03. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

04. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किये गये कि उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसने वादी मुकदमा के घर में घुसकर कोई घटना कारित नहीं की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका रोल केवल कहा–सुनी का दर्शाया गया है तथा पीड़ित पर तलवार से वार फरहान द्वारा करना बताया गया है। मामले में धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता की वृद्धि दौरान विवेचना की गयी है तथा अन्य धारा 115(2), 352, 351(3),118(1) भारतीय न्याय संहिता में वह मजिस्ट्रेट न्यायालय से आदेश दिनांकित 04.04.2026 से जमानत पर है। पीड़ित के मर्म भाग पर कोई चोट नहीं है तथा चिकित्सीय प्रपत्रों के अनुसार उसके हाथ की हडडी कटना दिखाया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वह एक घरेलू महिला है। वह दिनांक 24.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगी। अतः जमानत की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदिका के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये कथन किया है कि पुरानी बातों को लेकर हुई कहासुनी के दौरान आवेदिका के कहने पर ही सह–अभियुक्त फरहान से घर से तलवार लाकर वादी के भाई के ऊपर तलवार से वार किया, जिससे उसका हाथ कट गया। डॉ0 रविकान्त द्वारा विवेचक को दिये गये साक्ष्य के अनुसार चोटिल की दाहिने हाथ की हडडी, नसे व आर्रटरी कट जाने से खून के अधिक रक्तस्राव से मरीज की जान जा सकती थी। उपरोक्त के आधार पर आवेदिका के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

05. केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित है कि मामले की घटना दिनांक 31.03.2026 को समय करीब 21:00 बजे रात्रि की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.04.2026 को समय

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.06.04 17:02:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

01:39 बजे संबंधित थाने पर आवेदिका/अभियुक्ता व अन्य सह–अभियक्तगण के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है।

अभियोजन के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता व अन्य सह–अभियुक्तगण के कहने पर सह–अभियुक्त फरहान द्वारा वादी मुकदमा के भाई के ऊपर जान से मारने की नीयत से तलवार से हमला करने तथा सभी अभियुक्तगण के द्वारा वादी पक्ष के साथ गाली–गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

06. केस डायरी पर संलग्न **चोटिल लईक उर्फ भूरे** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसे चोट नं०–1 फटे हुये घाव की दायें हाथ की कलाई पर, चोट नं०–2 लाल नीलगू की दायें हाथ की कलाई पर पायी गयी। चोट न०–1 को जेरे निगरानी रखते हुये एक्सरे की सलाह दी गयी व चोट न०–2 को साधारण बताया गया।

लोटस अस्पताल, मेरठ की उक्त चोटिल की एम.एल.सी. रिपोर्ट के अनुसार उसकी चोट नं०–1 गम्भीर प्रकृति की बतायी गयी है।

07. पर्चा सं० –3 दिनांकित 09.04.2026 में **बयान डा० रविकांत** के अनुसार दिनांक 31.03.2026 को मरीज वहीक को इमरजेंसी में भर्ती कराया था। उसके दाहिने हाथ की हड्डी कलाई से कटी हुई थी, केवल स्कीन शेष थी, नसे कटी हुई थी, आर्टरी कट जाने के कारण ब्लड अधिक लॉस हो जाने के कारण जान जा सकती थी। अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिलता, तो निश्चित ही वह अपनी जान गवा देता।

पर्चा सं०–03 में चोटिल **लईक उर्फ वहीक उर्फ भूरे** के कथन अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार घटना के दिनांक व समय पर इरशाद व फरहाना के यह कहने पर कि आज लईक को जिन्दा मत छोड़ना, फरहान ने तलवार से जान से मारने की नीयत से उसके सिर में वार किया, तो उसने अपने आप को बचाने के लिये तुरंत अपने हाथ सिर पर लगा दिये, जिससे तलवार उसके सीधे हाथ में लग गयी और हाथ कट गया।

08. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदिका की भूमिका गाली–गलौंज करने व पथराव करने की दर्शायी गयी है तथा चोटिल के कथनों के अनुसार की सह–अभियुक्त फरहान को उकसाने की भूमिका है। आवेदिका सह–अभियक्त फरहान की माता है। वर्तमान मामले में आवेदिका धारा 115(2), 352, 351(3),118(1) भारतीय न्याय संहिता में विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय से जमानत पर है। आवेदिका एक महिला है तथा **दस दिनों** से अधिक से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले में विवेचना प्रचलित है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों देखते हुए, प्रश्नगत मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदिका को जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदिका का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता **फरहाना** की ओर से वर्तमान मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

आवेदिका/अभियुक्ता उपरोक्त द्वारा अंकन 50,000/–(**पचास हजार**) रुपये का निजी बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

1–आवेदिका विवेचना/विचारण में सहयोग करेगी।

2–आवेदिका गवाहों को डराने व धमकाने का प्रयास नहीं करेगी।

3–आवेदिका विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगी।

4–आवेदक, आरोप विरचित करने के दिनांक व कथन अंतर्गत धारा 351 बी.एन.एस.एस. के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगी।

5–मामले में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगी।

यह कि उक्त शर्तों का आवेदिका उपरोक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक–**04.06.2026**

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा